छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **त्रयोदश सत्र**

बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022

(फाल्गुन 18, शक सम्वत् 1942)

[अंक 03]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022

(फाल्गुन 18, शक सम्वत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का मामला है।

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर मामला है।

श्री धरमलाल कौशिक :- व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, विधायकों का मामला है। कांग्रेस की माननीय विधायक को गेट पर रोक दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायकों का मामला है। आप सुन लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- देवानन्द के वेश में आप आये हो। देवानंद लग रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक को विधान सभा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। एस.पी. और कलेक्टर के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है । विधायक को रोक दिया गया है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- बहुत गंभीर मामला है। ऐसा कोई निर्देश जारी हुआ है क्या (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- विधायक को रोक दिया गया है। कलेक्टर विधान सभा में है। विधायक को रोक दिया गया है। यह विशेषाधिकार का मामला है। ऐसा कोई निर्देश जारी हुआ है क्या। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- विधान सभा में इस वाहन से ही आ सकते हैं, ऐसा कोई नोट जारी हुआ है क्या ? ऐसा कोई निर्देश जारी हुआ है क्या कि इस वाहन से आ सकते हैं और इस वाहन से नहीं आ सकते। आपके रहते कलेक्टर, एस.पी. की इतनी हिम्मत हो गई है कि वह विधायक को विधान सभा में आने से रोके। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- विधान सभा में विधायक को कलेक्टर एस.पी. ने रोका है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- विधान सभा की परिसर में कलेक्टर एस.पी. ने रोका है। एस.पी. को विधायक को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- एस.पी. को कोई अधिकार नहीं है कि वह विधायक को विधान सभा परिसर के अंदर आने से रोके। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल महिला दिवस मनाया गया और आज महिलाओं का अपमान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह विशेषाधिकार का मामला है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सुरेश सेठ मध्यप्रदेश की विधान सभा में हाथी में चढ़कर गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम साइकिल से गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आज एक महिला विधायक स्कूटर में बैठकर के विधान सभा गयी। ये विधायक अगर स्कूटर में आ रही हैं तो यह कौन सी किताब में लिखा है कि यहां कार में ही आना है या पैदल आना है । यह कौन से किताब या कौन से नियम में है और ऐसा क्यों रोका जा रहा है? अगर उसके पास कार नहीं है तो उसे स्कूटर में आने देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट और लोग इस टाइप से खड़े हुए हैं जैसे कोई पुतली बाई आ रही हो। यहां की एम.एल.ए. नहीं हो, कोई डकैत आ रही हो। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पहले कुलदीप जुनेजा जी भी आते थे। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- वे पगड़ी बांधकर आते थे। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और आज महिलाओं का अपमान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक विधान सभा परिसर होता है, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, आपके रहते रोकने वाले ये कौन होते हैं, एस.पी. कलेक्टर इतना बड़ा हो नहीं सकता। ये कौन होते हैं रोकने वाले। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- एस.पी. कलेक्टर कैसे विधायक को रोक सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठ जाइए। (व्यवधान) मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं। आप लोग बैठ जाइए। अनावश्यक अपना गला खराब मत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करिए। मेरी बात सुन लीजिए। किसी बात को पूरी तरीके से जाने बगैर आपको इस कदर अपने गले को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। विधान सभा में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित है और

इस संबंध में निर्देश भी जारी किये हैं। विधायक महोदया को कार का पास भी जारी किया गया है। विधान सभा में दोपहिया वाहन से जिसे प्रवेश करना है, द्वार क्रमांक 01 से आयेगा। इनकी अनुमति भी उन्हें दी गई है। इसके बावजूद भी कोई जान-बूझकर के व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाहे तो विधान सभा में उसके लिए कोई क्षम्य नहीं है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। डॉ. रेणु अजीत जोगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी विधायक और जो विधान सभा के सदस्य हैं, उन्हें विधान सभा की कार्यवाही में आने से नहीं रोका जा सकता। यह प्रीविलेज का मामला है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आसंदी से गेट नं. 01 से स्कूटी से आने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि गेट नं. 01 से स्कूटी से आने का प्रावधान किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक महिला विधायक है और जहां तक गेट नं. एक, दो, तीन की बात है तो विधायक यहां पैदल भी आ सकते हैं। स्कूटी में भी आ सकते हैं। कार में भी आ सकते हैं, लेकिन विधान सभा की कार्यवाही से रोका जाना उचित नहीं है। यह प्रीविलेज का मामला है और आसंदी का संरक्षण माननीय सदस्य को मिलना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही से किसी को रोका नहीं जा रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- वास्तव में गंभीर मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही से किसी को नहीं रोका जा रहा है ।

श्री नारायण चंदेल :- वास्तव में गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा में आने से किसी के लिए रोक नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है और आज महिला का यह अपमान । (व्यवधान) ये कोई शासकीय कर्मचारी नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कौन से नियम में लिखा है कि विधायक 2 नम्बर गेट से आएंगे । एक विधायक को प्रताड़ित किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अधिकारी दीर्घा में बिना पास के लोग बैठे थे । जब हमने पूछा तो उनको भगाया गया, तुरंत गायब किया गया । वह तो विधायक है । बिना अनुमति के अधिकारी दीर्घा में लोग बैठ चुके ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोग सायकल से 2 नम्बर गेट से आए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- (व्यवधान) आपको इतनी सदाशयता दिखानी चाहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 नम्बर गेट से एक विधायक जब वे शुरू में चुनकर आए थे तो यहां के पोर्च तक चढ़कर आए थे, वह फोटो अख़बार में छपा भी । मैं नाम नहीं लेना चाहता । आप कहेंगे तो नाम भी ले दूंगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि उनकी कार का पास जारी हुआ है, उसके बाद भी आप सदन का समय बेवजह बर्बाद करना चाहते हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप लोगों को तो महिला विधायक का साथ देना चाहिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आप उनको बुलवा लीजिए । उनकी क्या प्रॉब्लम है उसको हल करवा दीजिए । आपसे फ़रियाद करने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप थोड़ा मदद कर दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- स्कूटी से आने में क्या तकलीफ है, अध्यक्ष जी ?

अध्यक्ष महोदय :- उनके बात करने के लिए जा रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चोर-चंडाल यहां घुस जाएं और विधायक को रोका जाए।

श्री धरमलाल कौशिक :- 2 नम्बर गेट से ही आते हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह विशेषाधिकार का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह इतना गंभीर मसला नहीं है कि आप सब खड़े हो जाएं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, गंभीर कैसे नहीं है ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- महिला विधायक अकेली खड़ी हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- क्या विशेषाधिकार है । क्या विशेषाधिकार बनता है इसमें ?

श्री धर्मजीत सिंह :- 11 बज रहा है, प्रश्नकाल शुरू हो गया और एक विधायक यहां से 100 मीटर की दूरी पर गेट पर खड़ी हैं, उनको आप किसी को भेजकर बुलवा लीजिए सर ।

अध्यक्ष महोदय :- हमारे प्रमुख सचिव जी उनको समझाने जा रहे हैं, आप लोग शांत रहे । मैडम का पहला प्रश्न है, उनको आने दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनकी समस्या का समाधान करिये । आपके सिवा दूसरा कोई कर भी नहीं सकता । आप कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु जोगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. (*क्र. 106) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2020-2021 के दौरान विभाग द्वारा प्रदेश में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए? जिलेवार जानकारी देवें। **(ख)** बिलासपुर जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ग)** कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास में से कितने आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) विभाग द्वारा प्रदेश में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की जिलेवार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट**[1] में दर्शित है। **(ख)** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण - बिलासपुर जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत आवास
01	बिलासपुर	बिल्हा	1,888
02		कोटा	1,842
03		मस्तूरी	1,891
04		तखतपुर	1,070

(ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणः- कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1,989 स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास में से कोई भी आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंचायत मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा प्रदेश में कितने आवास स्वीकृत किये गये ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में 1 लाख, 57 हजार, 814 आवास स्वीकृत किये गये हैं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्नोत्तरी में माननीय डॉ. रमन सिंह जी के प्रश्न क्रमांक 12 में जवाब दिया गया है कि 7 लाख, 61 हजार, 999 आवास स्वीकृत हुए जिसे केन्द्र सरकार की रूरल मिनिस्ट्री ने ए.सी.एस. को बार-बार दिशा-निर्देश देने के बाद, उसकी मान्यता सही नहीं थी, इसलिए उसे निरस्त कर दिया गया है । क्या आपको इसके बारे में जानकारी है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था । उसमें राज्यांश की राशि नहीं दिये जाने के कारण उसको मंत्रिमंडल की बैठक 01.02.2022 को

---

[1] परिशिष्ट- "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मंज़ूरी मिल चुकी है, जिसमें 763 करोड़ का राज्यांश देना है उसके बाद यह 2019-20 का होगा । उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका और कोई प्रश्न ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न और किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1,979 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, परंतु जब से यह योजना शुरू हुई है, अभी तक एक भी पूर्ण नहीं हुए हैं और बिलासपुर जिले के विभिन्न विकासखण्डों में 6,691 आवास स्वीकृत हुए थे। तो उसमें कितने आवास बने हैं और उसकी क्या प्रगति है? कृपया यह बतायें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में लिखा हुआ है कि इसमें से कोई भी आवास नहीं बना है और कारण मैंने बताया है कि राज्यांश की राशि जो पूर्ति नहीं हो पाई थी, इसके कारण आवास नहीं बना है। लेकिन अब वह मंत्रिमण्डल की बैठक में तय हो गया है और अनुमित Rural housing corporation को दी जा चुकी है और टेण्डर float हो चुका है, वह पैसा आने के बाद कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है?

श्रीमती रेणु अजीत जोगी :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। राजमन बेंजाम।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। बैठ जाईये। नेता जी बात कह रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यांश नहीं दिये जाने के कारण में वह आवास नहीं बना है। मंत्री जी बता रहे हैं कि अभी उसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। यह वर्ष 2019 से लेकर 2020 और 2021 का भी है। वर्ष 2020-21 का जो आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसका कार्य प्रांरभ नहीं हुआ है। उसके पहले जो अपूर्ण आवास है, उसका कार्य भी प्रांरभ नहीं हुआ है। उसके कुल कितनी राशि है जो राज्य सरकार को देनी है, कुल कितनी राशि केन्द्र सरकार को देना है और कब तक उसको पूर्ण कर लिये जायेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 का 763 करोड़ जो मंत्रिमण्डल से मंज़ूरी हो चुकी है, वह प्रक्रिया में है। अब बात आती है 2021-21 की तो 2020-21 में जो केन्द्रांश 1200 करोड़ और राज्यांश 800 करोड़ है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है और जो जिस प्रकार की बातें आ रही है कि वह वापस हो गया, उसको लेने की अभी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला इसलिए है क्योंकि यह गरीबों का मामला है। लगभग यदि वर्ष 2022 तक की बात करें तो 18 मकान बनाने का लक्ष्य है। इसके पहले वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक का अभी तक आवास का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वास्तविक में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह गंभीर चिंता का विषय है। केन्द्र सरकार देने को तैयार है, वह आ करके लौट रही है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इसको ध्यान दे करके सारे गरीबों का मकान बन जाये। क्योंकि यह योजना वर्ष 2022 के बाद में बंद हो जाएगी और इससे छत्तीसगढ़ के लोग वंचित हो जायेंगे। यदि वे वंचित होंगे तो केवल सरकार की लापरवाही के कारण या सरकार की दयनीय स्थिति के कारण या इनके राज्यांश नहीं देने के कारण में यह स्थिति बन रही है तो एक बार आवश्वस्त करें कि वर्ष 2022 तक के लिए जो आवास स्वीकृत किए गए हैं, वह सारे प्रदेश के गरीबों को मिलेगा, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह वर्ष 2022 तक की कोई बात नहीं रह गई है। इस योजना को वर्ष 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। राजमन बेंजाम।

<u>शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

[चिकित्सा शिक्षा]

2. (*क्र. 445) श्री राजमन बेंजाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में कितने विषय विशेषज्ञ डाक्टरों का पद स्वीकृत है ? प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत पदों में से कितने पद भरें हैं और कितने पद रिक्त है ? रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में 105 विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत है। प्रश्न दिनांक तक 105 स्वीकृत पदों मे से 61 पद भरे है और 44 पद रिक्त है। रिक्त पदों की भर्ती हेतु स्व. बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर में प्रत्येक माह की 30 तारीख को वॉक-इन-इंटरव्यूह आयोजित कर संविदा नियुक्ति हेतु लगातार भर्ती का प्रयास किया जा रहा है, अतः रिक्त पदों पर भर्ती हेतु तय समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में कुल 105 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 61 पद भरे हुए हैं व 44 पद रिक्त हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने डॉक्टरों की सीधी भर्ती हुई है और कितने लोगों को मेडिकल कॉलेज में पदस्थ किया गया है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य का प्रश्न नहीं है। बाकी जिस स्थान का प्रश्न है, उसके उत्तर में बाकायदा लिखा हुआ है, जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बस्तर संभाग के बस्तरवासियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बस्तर संभाग में मात्र एक मेडिकल कॉलेज है और वहां पर डॉक्टरों की कमी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहना यह एक दुर्भाग्यजनक है। मैं चाहता हूं कि वहां पर जितने पद रिक्त हैं, उनको जल्दी-से-जल्दी भरा जाये और वहां पर जो 6 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया गया है उनको यथावत् वहीं रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी दोनों प्रश्न का जवाब दे दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब तो पूरा लिखित में दिया जा चुका है। लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह मैं संबंधित विभाग को इस बारे में निर्देशित करूंगा कि इसका निराकरण कराये।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा बस्तर में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर न्यूरोसर्जन का पद स्वीकृत है? यदि पद स्वीकृत नहीं है तो पद स्वीकृत करके उसकी भर्ती की जाएगी क्या? अध्यक्ष महोदय, क्या है कि आये दिन बस्तर में नक्सली घटनाएं घटती है और वहां के मेडिकल कॉलेज केवल refer center बन कर रह गई है। इसलिए वहां पर न्यूरोसर्जन का होना बहुत ही जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोरोग एवं रेडियो डायग्नोसिस को छोड़कर अन्य सभी विभागों में विषय-विशेषज्ञ उपलबध हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत इंपोर्टेंट क्योश्चन यह पूछा है। आप तो बोल देंगे। ठीक बात है। आप तो अभी प्रभारी इनकी तरफ से चार्ज में जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रभारी तो खुद व्यस्त हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उन्होंने यह कहा है कि वह जो 6 ट्रांसफर हुए हैं उसे आप क्यों किये? क्या उसे आप निरस्त कर देंगे? ताकि बस्तर जैसे संवेदलशील जगह में उन डॉक्टरों की भर्ती रहे।

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, अब इसको प्रभारी मंत्री कैसे बता पायेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- पर यह तो बोल दे कि हां, हम उसे विचार...।

अध्यक्ष महोदय :- देख लेंगे। हम विचार करेंगे। चलिये मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑलरेडी 44 पद रिक्त हैं। ऊपर से 6 डॉक्टरों को आपने कांकेर मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको तो कल, परसों मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना पड़ रहा था। आपकी कुछ थोड़ी न चल रही है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन 6 डॉक्टरों को वहां पदस्थ किया जाए क्योंकि केरल प्रांत से भी बड़ा बस्तर है तो आप वहां के वासियों के साथ अन्याय न करें, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, क्या मेडिकल कॉलेज डिपरापारा और मेडिकल कॉलेज कांकेर, दोनों अलग-अलग हैं?

श्री मोहन मरकाम :- जी, वहीं के 6 डॉक्टरों को आगे वहां कांकेर ट्रांसफर कर दिया। थोक में। 6 डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह चित्रकूट विधानसभा के नियम हैं इसलिए वह...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, डिपरापारा में अलग मेडिकल कॉलेज है और कांकेर में अलग मेडिकल कॉलेज है।

श्री मोहन मरकाम :- डिपरापारा-डिपरापारा।

श्री राजमन बेंजाम :- यह दोनों का मिलाकर एक साथ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, यह जो गांव है वह डिपरापारा है । वह सरकंडा टाइप का है। जैसे बिलासपुर में है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, कांकेर में अलग मेडिकल कॉलेज है।

श्री मोहन मरकाम :- हां, जो अभी नया बना है उसमें किया है तो 6 डॉक्टरों को वहां पर किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं उसको दिखवा लेता हूं।

श्री शिशुपाल सोरी :- कांकेर में नया है। वह नया है, वह चालू हो गया है इसलिए वहां डॉक्टर होना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इनकी चिंता को देखते हुए गंभीरतापूर्वक उसको शीघ्र दिखवा लीजिए।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, आये दिन वहां नक्सली ब्लास्ट होते रहते हैं। न्यूरो सर्जन का पद स्वीकृत नहीं है। वह पद स्वीकृत करके उसकी पद स्थापना करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- जी, बिल्कुल-बिल्कुल करवा देंगे। श्री शिवरतन जी शर्मा।

प्रदेश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

[कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

3. (*क्र. 365) श्री शिवरतन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सत्र 2018-19, 2019-2020, 2020-21 व 2021-22 में छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालयों में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार थे? वर्षवार, जिलेवार जानकारी प्रदान करें? (ख) उक्त सत्र में कितने पंजीकृत बेरोजगारों को शासकीय सेवा में रोजगार प्राप्त हुआ? जिलेवार जानकारी प्रदान करें? (ग) उक्त सत्रावधि में छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोगो को रोजगार (गैर सरकारी/सरकारी) मिला?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में छत्तीसगढ़ के जिला रोजगार एव स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों में कुल पंजीकृत व्यक्तियों की जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ"[2] अनुसार है। (ख) उक्त सत्र में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से शासकीय सेवा में रोजगार की संख्या निरंक है। (ग) वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में अब तक प्राप्त जानकारी अनुसार 23,430 लोगों को सरकारी, 13,709 लोगों को गैर-सरकारी तथा 3,94,854 लोगों का स्वरोजगार मिला है। जिलेवार जानकारी संलग्न संशोधित "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज मंत्री जी का संशोधित उत्तर मिला है। इस संशोधित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में 23,430 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और 13,709 लोगों को गैर सरकारी नौकरी। कल शासकीय सेवाओं के ऊपर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और मेरा, दोनों का प्रश्न था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने उत्तर में बताया था कि इसी सत्रावधि में जो इस प्रश्न की सत्रावधि है उसी पिरियेड में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 20,291 लोगों को हमने नौकरी दी और आप बोल रहे हैं 23,430 लोगों को नौकरी दी। इसमें सही क्या है, पहले आप यह बता दीजिए? मुख्यमंत्री जी सही बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं पहले यह क्लियर हो जाए?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्मा जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं। हम लोगों के बहुत सम्माननीय हैं।

अध्यक्ष महोदय :- विद्वान भी हैं।

श्री उमेश पटेल :- और बहुत विद्वान हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ए तो टेस्ट करे के बाद पता...।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इन्होंने कल पूछा था और आज जो प्रश्न पूछा है उसमें समय का अंतर है। अभी इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वर्ष 2017, 18, 19 के पूरे सत्रावधि का पूछा है और कल जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, वह दिसंबर 2018 से पूछा था। तो दोनों प्रश्न में आठ महीने का अंतर है तो इसलिए आपको अंतर आंकड़े में दिखेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप समझ सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप मेरा प्रश्न पढ़ लीजिए। आप जो बोल रहे हैं वह माननीय कौशिक जी का प्रश्न था। उन्होंने जनवरी 2019 से प्रश्न किया था और मेरा जो प्रश्न था, मैंने वर्ष 2018-19 सत्र का

[2] परिशिष्ट - "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पूछा था। आप क्लियर कर लीजिए। आप बोले तो मैं आपको प्रश्न की कॉपी उपलब्ध करा देता हूं। मेरे पास प्रश्न की कॉपी है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका जो नया क्योश्चन है उसको पूछिये न। नया प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर मेरे कहने का भाव यह है कि सरकार की ओर से जब भी जवाब आता है तो मंत्रियों के जवाब में अंतर आ जाता है। मुख्यमंत्री जी का जवाब कुछ है, माननीय रोजगार मंत्री जी का जवाब कुछ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब चीज जानते हैं उसके बाद भी बोल रहे हैं? (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया है कि इन्होंने जो कुल रोजगार दिया है 13,709 और 23,430 लोगों को। कुल मिलाकर इन 4 सालों में लगभग गया 37,000 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। पर देखिये, वर्ष 2018 में इनका पंजीयन था 23 लाख, 10 हजार, 678 और वर्ष 2019 में इनका पंजीयन हो गया 21 लाख, 19 हजार, 356। माने 1 लाख, 91 हजार 322 पंजीकृत बेरोजगारों का पंजीयन रिपीट नहीं हुआ। वैसे ही वर्ष 2020 में यह और घटकर कम हो गया 18 लाख, 98 हजार, 490। माने 2 लाख, 16 हजार 530 का पंजीयन इस वर्ष कम हुआ। वैसे ही हम वर्ष 2021 में लेंगे तो वर्ष 2021 में इनका पंजीयन हो गया 18 लाख, 69 हजार, 392। इसमें भी 29 हजार, 98 लोगों का पंजीयन कम हुआ। आप रोजगार दे रही पा रहे हैं और पंजीयन करने वालों की संख्या कम होती जा रही है । क्या आपने कभी इस विषय पर विचार किया कि इनकी एज बार हो गई या वे पंजीयन क्यों नहीं करा रहे हैं ? लोग शासकीय नौकरी में जाते हैं, आवेदन भरते हैं तो रोजगार कार्यालय का पंजीयन आवश्यक है । आपने कभी इस विषय पर जांच की कि पंजीयन कम होने के कारण क्या हैं ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शासकीय क्षेत्र में कितने रोजगार मिले, निजी क्षेत्र में कितने रोजगार मिले और स्वरोजगार की स्थिति क्या है ? आप इन सबको मिलाएंगे तो वह आंकड़ा 4 लाख, 63 हजार के आसपास पहुंच रहा है । अगर आप रोजगार कार्यालय का आंकड़ा भी देखेंगे तो पिछले 5 साल में लगभग उतने आंकड़े कम हुए हैं तो यह मैच हो रहा है । हालांकि रोजगार कार्यालय में ऐसी कोई रोक-टोक नहीं है कि जिसके पास रोजगार है, वह अपना पंजीयन रिपीट नहीं करा सकता या कोई Redundancy data वहां नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आप यह आंकड़ा देखेंगे तो वही आंकड़ों के साथ मैच हो रहा है, जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां मैच हो रहा है । मेरे पास आपके पूरे उत्तर की कॉपी है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर हमने दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयन की संख्या लगातार घट रही है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो आखिर यह जांच तो करना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन भैया, मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमने आपको जो टोटल उत्तर दिया है, उसमें रोजगार शासकीय क्षेत्र में, रोजगार निजी क्षेत्र में और स्वरोजगार की स्थिति आपको बतायी गई है । अगर आप इस आंकड़ें को जोड़ेंगे तो रोजगार कार्यालय के आंकड़े के साथ यह आंकड़ा लगभग मैच हो रहा है । आप उसको अच्छे से देख लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 3,94,854 लोगों को स्वरोजगार मिलने की बात की है । यह स्वरोजगार किन-किन क्षेत्रों में हुआ है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वरोजगार की स्थिति रोजगार कार्यालय से पता करना बहुत मुश्किल हो रहा था इसलिए हमने लोगों से उनके आधार नम्बर के हिसाब से Self Declaration form करवाया है, ताकि हमारे पास ClearCut data रहे । इसके लिए हमने जिला प्रशासन को कहा कि आप Self Declaration form भरवाईए और जिन-जिन लोगों ने form भरा है, किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया, लेकिन जिन-जिन लोगों ने यह form भरा है, उन आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है और जिन लोगों ने इस form को भरा है, उसका data लेते हुए हमने यह शो किया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वरोजगार के लिए आपने कहा कि लोगों ने Self form भरा है । स्वरोजगार में किस-किस श्रेणी का रोजगार है, यह तो बता दीजिए । इतने लोगों को Bank Finance नहीं हुआ है । मनरेगा में काम करने वाले हैं, उनको भी आपने इसमें जोड़ दिया है क्या ? आप कम से कम स्वरोजगार को परिभाषित कर दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने अपने आप को स्वरोजगार कहा है, यह Self Declared form है, लोगों ने अपने आप यह form भरा है तो जो भी व्यक्ति अपने आप को स्वरोजगार की श्रेणी में माना है, उसने form भरा है और उसी आंकड़ें को हमने यहां शो किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी प्रश्न क्रमांक 4 ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन को गुमराह करने वाला आदेश है । कहीं कोई Self form भरकर नहीं दिया है । यहां सिर्फ आंकड़ा बता दिया गया कि इतने लोगों ने form भरकर दिया है । किस-किस जिले में कितने लोगों ने form भरकर दिया है, यह सूची उपलब्ध कराएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, मैंने पहले ही कहा कि आप बहुत विद्वान आदमी हैं । एक उत्तर के आप कितने प्रश्न और कर सकते हैं, यह तो लिखा हुआ है। 4-5 प्रश्न पूछेंगे तो कैसे चलेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रश्न में एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं, फिर मैं अपना क्रमांक 4 का प्रश्न करूंगा । अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कहा था कि हम Out Sourcing पूरी तरह बंद कर देंगे । जो परिशिष्ट इसमें है, उसमें वर्षवार प्लेसमेंट की सहायता से निजी क्षेत्र में प्राप्त रोजगार नियोजन की संख्या है, उसमें आपने 2166 लोगों की संख्या दी है । इसमें सुधार तो नहीं हुआ है न ?

श्री शिवरतन शर्मा :- चारों साल का आंकड़ा 13709 एक साथ आ गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने 13 हजार बेरोजगारों को रोजगार दिया तो कौन-कौन सी कम्पनियां हैं, जो छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट के लिए आती हैं और वह किस स्तर के लोगों को प्लेसमेंट करती हैं । क्योंकि औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ के लोगों को कितने प्रतिशत, किस-किस स्तर के पद में लिये जाएंगे, यह तय है तो छत्तीसगढ़ में कौन-कौन सी कम्पनियों ने आकर प्लेसमेंट दिया, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका भी उत्तर दे देता हूं। हमने जो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरवाया है, वह अभी हमारे पोर्टल पर है, हमारे पास डेटा है और इसको पब्लिक भी कर दिया जायेगा। अगर आप चाहे तो मैं आपको उसका डिटेल भी दे सकता हूं। https://tecedu.cg.nic.in/rojgarmission, यह इस नाम से पोर्टल उपलब्ध है। हर जिले का डेटा with their आधार कार्ड नं. उपस्थित है।

अध्यक्ष महोदय :- आप वजह पर आ जाईये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज आपने प्लेसमेंट के बारे में कहा, तो रोजगार कार्यालय के द्वारा कुछ जगहों पर प्लेसमेंट किया जाता है। यह ओपन है और पेपरों में भी छपता है, लोग इसमें उपस्थित होते हैं और अपना-अपना दावा करते हैं। इसमे जिन लोगों की नौकरी लगती है, वह भी पेपरों में छपता है। यह उस विषय के आधार पर, उस आंकड़े के आधार पर लिया गया है। साथ ही जिन लोगों ने सेल्फ डिक्लेयर किया है कि हमें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है या हम काम कर रहे हैं, उन दोनों को जोड़कर इसको प्रस्तुत किया गया है।

<u>पंचायतों से राशि वापसी</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

4. (*क्र. 356) श्री अजय चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 4 मार्च 2020 के परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 3. (क्र.70) के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्रं./185/अ.मु.स./पंग्राविव/ 2017, दिनांक 12.04.2017 के द्वारा बंद हुई योजनाओं की शेष राशि की वापसी व उपयोग के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन बतायी गई थी, 31 जनवरी 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की स्थिति में इससे कुल कितनी राशि मंगाई गई थी मूलधन व ब्याज सहित जिलावार बतायें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के अनुसार इस राशि के उपयोग के संबंध में 31 जनवरी 2022 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया? यदि उपयोग किया जा रहा है तो किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **परिशिष्ट** ''अ''अनुसार है ।**(ख)** प्राप्त बंद योजना की राशि संबंधित जिलों को वापस कर शासकीय लेखे में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। राशि का उपयोग के संबंध में जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **परिशिष्ट** ''ब''अनुसार है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे इसमें थोड़ा सा संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 3 में या 4 में ?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न संख्या-4 में, प्रश्न संख्या-3 में नहीं पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत दिनों से प्रश्न कर रहा था, लेकिन संयोग से तीन-सवा तीन साल बाद यह तारांकित प्रश्न में आया है। इस प्रश्न को सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष जी ने लगाया था कि कितनी राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के समग्र विकास योजना या अन्य योजनाओं की राशि वापिस ली गई ? सरकार बदली, राशि वापस ली गई। तो उस प्रश्न में उत्तर आया कि इसमें शासन स्तर पर निर्णय लिया जायेगा। मैंने उसके बाद इसको पूछा तो उत्तर दिया गया था कि मंगाई गई कुल राशि 323 करोड़ 44 लाख रूपये है। पंचायतों में उपयोग की गई राशि 121 करोड़ 72 लाख है। मैंने दिनांक 24.02.2021 को भी प्रश्न किया तो उसमें भी कहा गया कि मंगाई गई कुल राशि 323 करोड़ 34 लाख है। पहले दोनों प्रश्न के उत्तर में 34-34 लाख बताया गया था, 121.72 करोड़ खर्च हुआ, यह बताया गया। आज के प्रश्न के उत्तर में कुल मंगाई गई राशि 113.38 करोड़ रूपया बताया गया है और पंचायतों में उपयोग की गई राशि 26 करोड़ है। पहले उपयोग 121 करोड और आज के उत्तर में 126 करोड़ बताया गया है। पहले 323 करोड़ मंगाया गया और अभी कह रहे हैं कि 113 करोड़ रूपये मंगाया गया, यह इसी सदन में जानकारी दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहे तो सारे प्रश्नों और उत्तरों को पटल पर रख देता हूं। मुझे पहले यह जानना है कि इसमें कौन सी चीज सही है ? 323 करोड़ मंगाया गया, वह सही है या 113.38 करोड मंगाया गया, यह सही है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग समय की जो भी विसंगति है, आप मुझे पूरी जानकारी दे दें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- फिर, आपने प्रश्न क्यों किया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- जांच की मांग के लिए।

अध्यक्ष महोदय:- आपने प्रश्न किया है तो आप जानकारी दे दीजिये, सारा आ जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आ गया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी जानकारी देते हैं, जानकारी लेते नहीं हैं। आप माननीय मंत्री जी से जानकारी मांग रहे हो और जानकारी देने के लिए कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जब भी गंभीर बात होगी..।

श्री अमरजीत भगत :- तो क्या चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- भैय्या, राधे दादा और कल्लू दादा, चिंता करो।

श्री अमरजीत भगत :- ऐसा है, आपको क्या चाहिए ? आप स्पष्ट बताओ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बायोडीजल पर कल प्रश्न है। कल प्रश्न संख्या-2 पर है। भाई, बायोडीजल में कल प्रश्न है।

श्री अमरजीत भगत :- जितने प्रकार का प्रश्न हो, जितना जवाब मांगना है, मांग लो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- कल कल्लू दादा और राधे दादा के बारे में बतायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा प्रश्नकाल को भी डिस्टर्ब करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

श्री अमरजीत भगत :- आप क्या चाह रहे हो, उसको स्पष्ट बोलिये ?

अध्यक्ष महोदय :- वह कैसे बतायेंगे, वह दोनों मित्र हैं, बाद में बात कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 करोड रूपये की राशि उपयोग हुई। अब इसी प्रश्न में दो बातें कही गई है कि राशि को संचालनालय में जमा करने के लिए कहा गया, जो 86 करोड़ रूपये हो गई, उसको। अब उसके बाद इसी के परिशिष्ट में लिखते हैं कि कोषालय में जमा करने के लिए कहा गया और इसी के परिशिष्ट में लिखते हैं कि संचालनालय में वापस मंगाई गई, साढ़े तीन साल हो गये । एक बार कोषालय में जमा करने का आदेश हुआ है कह रहे हैं और आज ही बोल रहे हैं कि संचालनालय में जमा करने के लिए कहा गया है । दोनों में कौन सी बात सत्य है, यह बताईये ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पत्र 12.04.2017 का है । बंद योजनाओं की शेष राशि ब्याज सहित वापस करने विषयक- यदि आप कहें तो पूरा पढ़ कर बता देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय:- नहीं थोड़ा सा पढ़ दीजिए, इतना सा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, संबंधित जिला पंचायतों में राशि उपलब्ध है, इन मदों में जमा राशि के एवज में बैंकों के द्वारा दिया गया ब्याज की राशि भी शामिल है । जिन-जिन मदों की राशि है, इस पूरे को वापस जमा करना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सहमत हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं । राशि को वापस संचालनालय में मंगाई गई और एक में कहा गया है कि आज ही कोषालय में जमा करवाया गया । निर्देश आज ही के प्रश्न में है । दोनों में कौन सी बात सही है, संचालनालय में मंगाये हैं या कोषालय में, फिर आप से तीसरा प्रश्न करूंगा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोषालय में जमा कराया गया, बैंक में जमा कराया गया, योजनाओं की राशि वापस जमा करना है । कुलमिलाकर बात यह है ।

अध्यक्ष महोदय :- तीसरा प्रश्न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक बात बताता हूँ । राशि खर्च की गई बता रहे हैं, उसमें कुरूद में राशि खर्च की गई बता रहे हैं, पिछले सत्र में राशि का उल्लेख नहीं है कि कितनी राशि कुरूद में खर्च की गई और बाकी को जमा कर दी गई । अब इस प्रश्न के उत्तर में परिशिष्ट में बताये हैं कि राशि कुरूद में 3.46 करोड़ ही खर्च हुई है । 20 करोड़ के आसपास पाटन में उन्होंने खर्च किये हैं । टोटल में 313 करोड़ से लेकर 26 करोड़ भर व्यय हुआ है, यदि 313 करोड़ मानें तो 280 करोड़ की राशि लापता है । ये लोग फर्जी बुकिंग करके उसमें भ्रष्टाचार किये हैं और सदन को गलत जानकारी दिये हैं और इसमें वह 280 करोड़ रूपया हैं कहां पर गया ? कोषालय में कितनी राशि है ? संचालनालय में सवा तीन साल में कितनी राशि जमा की गई और वह 280 करोड़ रूपया है कहां ? मैं इसकी जांच की मांग आपसे करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय:- बिल्कुल जांच की ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी इसको बताने का कष्ट करें । 113 करोड़ में 26 करोड़ की राशि व्यय हुई है तो बाकी 878 करोड़ की राशि कहां है और उसके पहले आपने 313 करोड़ वापस लिया है । आपने 121 करोड़ रूपया खर्च बताया है । 210 करोड़ रूपये की राशि कहां...।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये, सुनिये । देखिये, एक तो प्रभार में है । आप उसको इतना ज्यादा उलझा दोगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं वह तो मुख्यमंत्री बनकर बजट में बोल सकते हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराने दो-तीन प्रश्नों का हवाला देकर, दो-तीन अलग-अलग आदेशों का हवाला देकर, आप जो भी जानना चाह रहे हैं, मैं आपका समाधान करा दूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, माननीय मेरे पास जानकारी पूरी है । विधान सभा में आप अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये । इसी विधान सभा में गलत जानकारी दी गई । आप कहें तो सारे प्रश्न पटल पर रख देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पटल पर रख दीजिए, जहां से गलत जानकारी आई है, मैं उसमें जांच कराऊंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं चाहता हूँ कि उसके बाद इसकी विधायक की समिति से प्रश्न संदर्भ से जांच...।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल कराऊंगा । जो भी उचित होगा, मैं कराऊंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व में पंचायत मंत्री रह चुके हैं, दो तरह की बात कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है । जब काम नहीं हुआ है तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया ? आप मनगढंत बात बोलते हैं । जब काम उसमें हुआ ही नहीं है ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- राधे दादा और कल्लू दादा मनगढंत नहीं है । बायो डीजल में वसूली करते थे । राधे दादा और कल्लू दादा 10 रूपये प्रति लीटर वसूली करते थे । सत्य है ।

श्री अमरजीत भगत :- सुनो डमरू दादा । (हंसी) कार्य नहीं हुआ तो कहां से भ्रष्टाचार हुआ जी ? सुनो डमरू दादा, सुनो भोकलू दादा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भागीरथी के बारे में भी बोल देता हूँ कि कौन है भागीरथी ? उसको 3 से 5 परशेंट है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- राधे दादा, कल्लू दादा किसके ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

प्रश्न संख्या-5 X X X X

हमर लैब योजना के तहत री-एजेंट की मांग

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (*क्र. 533) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** हमर लैब योजना के लिए वर्ष 2020-21, 2021-22 में किस री-एजेंट की कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा की मांग CGMSC को प्राप्त हुई है? और CGMSC द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई है? **(ख)** प्रश्नांश "क" के संबंध में समस्त हमर लैब में वर्तमान में किस-किस री-एजेंट की कितनी-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कितनी मात्रा उपलब्ध है? **(ग)** प्रश्नांश "क" के संदर्भ में री-एजेंट के क्रय में क्या शासनादेश क्रमांक/एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 11.06.2013 के निर्देशों का पालन किया गया है? यदि हां, तो मूल निर्माता के नाम एवं उनसे क्रय री-एजेंट की सूची प्रदान करें, यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** [3] अनुसार। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार। **(ग)** प्रश्नांश **(क)** के संदर्भ में री-एजेंट के क्रय शासन द्वारा निर्धारित छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमों तथा प्रचलित निर्देशों के अधीन ही हुआ है। शासनादेश क्रमांक/एफ 20-70/2004/11/(6) दिनांक 11.06.2013 जारी ही नहीं हुआ है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कितने हमर लैब संचालित है और कहां-कहां पर संचालित हैं, इसमें कितने प्रकार की जांच किस-किस दर पर की जाती है । आप इसकी जानकारी दे दें ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत छोटा सा प्रश्न है, शायद इसके बाद अगला प्रश्न नहीं करेंगे ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर लैब योजना वर्ष 2020-2021, वर्ष 2021-2022 की जानकारी परिशिष्ट अ में दिया गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, "हमर लैब" जिला चिकित्सालय पंडरी रायपुर, जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार, भाटापारा ऐसे अलग-अलग सभी जिले में "हमर लैब" की योजना प्रारंभ की गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज आप स्वास्थ्य मंत्री जी के behalf में जवाब दे रहे हैं। आप यह बता दें कि "हमर लैब" कितनी जगह में कुल कितने संचालित हैं?

अध्यक्ष महोदय :- कुल कितनी जगह में संचालित हैं, यह बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोय, "हमर लैब" 6 जगह संचालित हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज जरा परिशिष्ट देख लें। यह भी गलत जानकारी दे रहे हैं। चलिये दूसरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि इस योजना के लिए केन्द्र से कुल कितनी राशि मिली और राज्य से कितनी राशि लगाई गई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का पार्ट नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह प्रश्न का ही पार्ट है।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप प्रश्न पढ़ लीजिए न।

---

[3] परिशिष्ट- "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बाद में सप्लीमेन्ट्री का उत्तर अलग से दे देंगे। क्या तीसरा कोई प्रश्न है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो मेरे बहुत सारे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आज आप तैयार होकर नहीं आये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी चूंकि उनके behalf में बोल रहे हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिए मैं भी चाहता हूं जल्दी निपटा दिया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी दे दें यह जो री-एजेंट दवाई है यह किस-किस फर्म से खरीदी गई और किन नियमों के तहत खरीदी गई ? दिनांक 29.06.2013 को जो निर्देश जारी किया गया है, क्या उसका पालन किया गया है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप प्रश्न को देखेंगे तो किस-किस से खरीदा गया है, यह इसमें है ही नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- है न। आपने जवाब में दिया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप देखिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने देख लिया है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुना देता हूं। **(क)** हमर लैब योजना के लिए वर्ष 2020-21, 2021-22 में किस री-एजेंट की कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा की मांग CGMSC को प्राप्त हुई है? और CGMSC द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई है? **(ख)** प्रश्नांश "क" के संबंध में समस्त हमर लैब में वर्तमान में किस-किस री-एजेंट की कितनी-कितनी मात्रा उपलब्ध है? प्रश्न **(ग)** में लिखा है कि 11.06.2013 का एक पत्र है, क्या उसके निर्देशों का पालन किया गया है? इसमें कहां है, नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने 29.06.2013 को जो निर्देश जारी किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- फिर से पूछ लीजियेगा। उनको आने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिला कबीरधाम में खेल के आयोजन हेतु आबंटित एवं व्यय राशि

[खेल एवं युवा कल्याण]

7. (*क्र. 385) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु जिला कबीरधाम अंतर्गत खेल के आयोजन हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है तथा कितनी राशि व्यय की गयी ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : प्रश्नाधीन अवधि में कबीरधाम जिले को खेल के आयोजन हेतु रूपये **8,70,000/-** की राशि दी गई है एवं रूपये **3,14,866/-** व्यय किया गया।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि हमारे जिले में जो व्यय राशि है, उस राशि को किस खेल में कब-कब आयोजन किया है, इसकी जानकारी आपके माध्यम से जानना चाहूंगी?

अध्यक्ष महोदय :- ममता चन्द्राकर जी, आप वहां कैसे पहुंचे गई?

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र से मेरी सीट बदल गई है। मेरी सीट बहुत पीछे थी।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सब तो आप ही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पीछे से कोने में आ गई हैं, इसको बदलना कहते हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार किसी के साथ कुछ भी कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ममता चन्द्राकर जी को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने छन्नी चंदू साहू जी को अंदर बुलवा लिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यय राशि की जानकारी और जो राशि जिले में दी जाती है, वह हमारे जिले के लिए बहुत ही कम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छन्नी चंदू साहू जी का जो दर्द है, वह पूरे सदन के सामने आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कल हमने महिला दिवस मनाया है और महिला दिवस के दिन एक विधायक..।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उस विषय में प्रश्नकाल के बाद बात कर लीजियेगा। उमेश पटेल जी आपने प्रश्न समझ लिया ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। 3,14,866 रुपये का व्यय किया गया है और यह व्यय विकासखंड एवं जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजन करने के लिए व्यय किया गया है।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- इस राशि की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनुशंसा भी होती है या इसको सीधा विभाग आयोजन में खर्च करता है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विकासखंड एवं जिला स्तरीय युवा उत्सव मनाने के लिए हर साल पैसा दिया जाता है और उसी तारतम्य में इस साल भी दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- इसको विभाग खर्च करता है या किसी जनप्रितनिधि की अनुशंसा पर खर्च किया गया है ?

श्री उमेश पटेल :- यह विभागीय खर्च होता है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

8. (*क्र. 188) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- दिनांक 09.02.2022 तक मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है ? मृत हुये लोगों के कितने आश्रितों को कितनी राशि का मुआवजा प्रदान किया गया है, तथा कितने शेष है, शेष लोगों को मुआवजा की राशि कब तक प्रदान की जावेग?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : दिनांक 09.02.2022 तक मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में 186 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। 176 मृतकों के आश्रितों को राशि रूपये 88 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया है तथा 10 मृतकों के आश्रितों को मुआवजा प्रदान किया जाना शेष है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे की राशि की जानकारी दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार को उनके खातें में मुआवजे की कितनी राशि दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- मुआवजे की राशि बता दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- मुआवजे की राशि 50 हजार रुपये है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- चेक के द्वारा दी गई है या हितग्राही के खाते में राशि जमा की गई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- चेक के द्वारा मुआवजे की राशि गई है।

अध्यक्ष महोदय :- चेक के द्वारा मुआवाजे की राशि दी गई है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। 10 मृतकों के आश्रित परिवारों को अभी तक मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है या नहीं और राशि कब तक दी जायेगी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- 10 मृतकों में से जो उत्तर में दिया गया है, उसमें से 8 मृतकों की और मंजूरी हो गई है, 02 मृतकों की बाकी हैं। जांच के बाद वह भी हो जायेगा, उनका जल्दी भुगतान करा देंगे।

कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. (*क्र. 86) श्री सन्त राम नेताम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कोंडागांव जिले को वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में किन-किन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई ? इनमें से कितनी राशि प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं भंडारण क्रय हेतु व्यय की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब''**[4] पर दर्शित है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और कुल कितनी राशि खर्च की गई, उस संबंध में प्रश्न पूछा था। तो माननीय मंत्री जी के उत्तर में आया है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की 31 जनवरी तक की स्थिति में 95 लाख और 65 हजार प्रशिक्षण में और भंडारण में खर्च की गयी। मैं इस राशि के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि यह जो राशि है कौन-कौन सी तारीख में, कहां-कहां खर्च हुई और इस राशि से क्या प्रशिक्षण दिया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है, यह वर्षवार है। अब इसमें कौन-कौन सी तारीख में और कहां-कहां, प्रशिक्षण दिया गया है, वह तो...।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मंत्री जी, मेरा प्रश्न लगाने का मतलब ही वही है।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो परिशिष्ट में दिया हुआ है, तो क्या उसमें तारीख नहीं दी है ?

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में खर्च का विवरण दिया है, परंतु कहां-कहां पर प्रशिक्षण दिया गया है, उसकी तो जानकारी आपके पास होगी और किस कारण से प्रशिक्षण कराया गया

[4] परिशिष्ट- "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। मैं तो वह जानने के लिये प्रश्न लगाया हूं, बाकी तो इसमें ऑटोमेटिक आ गया, नहीं तो उसको प्रश्न पूछने से क्या मतलब होगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि पैसा कहां-कहां और किस कारण से खर्च हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह असली आइटम को जानना चाह रहे हैं।

श्री संतराम नेताम :- मैं असली आइटम को जानना चाह रहा हूं कि यह पैसा कहां जा रहा है।(हंसी) आपने बिल्कुल ठीक बोला।

अध्यक्ष महोदय :- प्रभारी मंत्री असली आइटम के बारे में नहीं बता पायेंगे। इस विभाग के मंत्री जब आयेंगे तो पूछ लेना।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो एकदम सरल का प्रश्न है। मैं पूछ रहा हूं कि कौन-कौन सी तारीख को हुआ। आपने 95 लाख 65 हजार रूपये कहां-कहां, कौन-सी तारीख को और किस विषय में खर्च किया, वह बता दीजिये ?

श्री अजय चंद्राकर :- यह राशि तो बहुत कम है, प्रशिक्षण में तो करोड़ों रूपये खर्च होते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यदि उत्तर देना संभव हो तो दीजिये, नहीं तो इनको कक्ष में लाकर दे दीजियेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि किस-किस आइटम पर खर्च किया गया है, उस आइटम का नाम बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपको अलग से बता देंगे, आपके कक्ष में लाकर समझा देंगे।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि, अगर पहले का बता रहे हैं तो देख लिजिये, यह तो बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर तो आना चाहिये, जो भी इसका उत्तर बनाये होंगे, वह तो आना चाहिये, मेरा आशय यही है।

अध्यक्ष महोदय :- अधिकारी लोग विधान सभा में डरते हैं और सरल प्रश्न नहीं, कठिन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसलिये अगर आप ज्यादा सरल प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल सरल-सा प्रश्न है कि कहां-कहां प्रशिक्षण हुआ, कि जांकड़ी में हुआ, कि केशकाल में हुआ ? कहां-कहां हुआ है और किस तिथि को और क्या प्रशिक्षण दिया गया ? मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं बहुत छोटा-सा प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं कोई बहुत बड़े आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा-सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- और सरल है, सरल और छोटा सा प्रश्न है।

श्री मोहम्मद अकबर :- सरल ही है। उसे अभी कठिन करने की कोशिश की जा रही है, बाकी सरल है। इसमें यह लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कोण्डागांव जिले में 2019-20,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2020-21 और 2021-22, 31 जनवरी की स्थिति में किन-किन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई, इसमें से कितनी राशि प्रशिक्षण राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं भंण्डारण क्रय हेतु व्यय की गई। यह पूरी जानकारी दे दी गई है। एक मिनट, इसके बाद भी यदि आप स्पेशिफिक और कोई जानकारी चाहते हैं या किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई चाहते हैं तो आप बता दीजियेगा, मैं करवा दूंगा।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आ रहा है, मैं उसको जान रहा हूं कि प्रशिक्षण में तो वह लिखा हुआ है कि कितना लाख रूपया खर्चा हुआ। पर मैं यह भी जानना चाह रहा हूं कि कहां हुआ ?

अध्यक्ष महोदय :- विभागीय मंत्री आ जायेंगे तो बता देंगे।

श्री संतराम नेताम :- चलिये, मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कर लीजिये।

श्री संतराम नेताम :- मैं दूसरा प्रश्न करता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2020 में 25 करोड़ 63 लाख रूपये आये, 2020-21 में 35 करोड़ 5 लाख रूपये आये और 2021-22 में 26 करोड़ 47 लाख रूपये आये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो राशि आयी तो इसमें कुल कितनी राशि खर्च की गयी ? मुझे यह बता दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यह जो राशि आयी है, उसमें किसने पैसा खाया है, उसको वह बता नहीं रहे है।(हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- जो राशि आयी, उसको किसने खाया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बता देता हूं।

श्री सौरभ सिंह :- क्या पैसा खाने वालों के नाम बता रहे हैं कि कौन पैसा खाया है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग आज कम से कम 10 प्रश्न तक तो जाने दीजिये, उलझाइये नहीं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है इसमें वर्ष 2019-20 में प्रशिक्षण में व्यय राशि 48.39 लाख, वर्ष 2020-21 में 40.24 लाख एवं 2021-22 में 7.2 लाख रूपये है। ऐसा पूरा चार्ट है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसमें पूरी जानकारी दी गयी है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये चार्ट है।

श्री अजय चन्द्राकर :- चार्ट दोनों तरफ है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इसमें देख लीजिए वर्ष 2019-20 में 26 करोड़, वर्ष 2020-21 में 31करोड़ 94 लाख..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ चार्ट है, इसे कौन चाटा है, यह विषय है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में 25 लाख, इस प्रकार 83 करोड़, 16 लाख और 63 हजार रूपये खर्च हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन है और अगर सदन में इस प्रकार से जानकारी हमारे सामने नहीं आएगी तो यह तो बड़ा दुर्भाग्य है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूँ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार रहे, हम तो जानना चाहते हैं, हम विधायक है। इतने करोड़ खर्च हो गये और उनको जानकारी राशि मालूम हो, प्रभारी मंत्री रहे, चाहे ओरिजन मंत्री रहें।

अध्यक्ष महोदय :- आपको उत्तर बिल्कुल मिलेगा।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी करोड़ रूपये की राशि खर्च हो रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें बू आ रही है। इसलिए मैंने प्रश्न लगाया है। इसकी जांच करायेंगे क्या ? और मैं 4 प्रश्न और पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इसकी जांच करवा दीजिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्या इसकी जांच करवा देंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जरूरत नहीं है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की जरूरत कैसे नहीं है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जरूरत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बू आ रही है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौन से क्रय नियम में हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बू आ रही है तो बू को दूर करना पड़ेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में चार्ट दोनों तरफ है। वही पता नहीं चल रहा है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि जानकारी नहीं है तो स्पष्ट बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष के जिले में जांच नहीं हो रही है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भले जांच की मांग करे तो भले मंत्री जी नकार दें लेकिन उनके पक्ष के विधायक मांग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप इसकी जांच करवा दीजिए। आपके विधायक बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं यह प्रश्न नहीं पूछा हूँ कि क्रय नियमों का पालन किया गया है या नहीं किया गया है? समिति से भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं किया गया है? वह तो प्रश्न में आया ही नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय यह जो बू है, वह बाद में बढ़ जाएगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश के लिए जांच दे सकते हैं। अगर किसी प्रश्न से ऐसी बात उद्भुत हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं निर्देश दे सकता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय विधायक कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ हुई है, बू आ रही है तो उस बू को तो दूर करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बिल्कुल जांच के निर्देश दे सकता हूँ। उसके पहले यह पूछना चाहूंगा कि आपके पास जो चार्ट है, वह आपको कहां से मिला? यह विधान सभा का है और उनके पास जो चार्ट है, वह कौन सा है?आप जल्दी उत्तर दे दीजिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी आयी है। इसमें पूरा का पूरा खर्च नहीं बताया है। हालांकि मैं नहीं पूछूंगा। पर यह 83 करोड़, 16 लाख रूपये का मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में सदस्य अपने स्त्रोतों से जानकारी इकट्ठी करता है।

अध्यक्ष महोदय :- यह ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनके पास जानकारी कहां से आयी, यह कोई उनको जवाब देने की बाध्यता नहीं है। अगर हम ऐसा बताने लगेंगे तो हमको कोई जानकारी देगा ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- अरे भईया, मैं भी 4-4 बार विधायक रह कर पूछता था। ऐसा नहीं है मगर वह सरकारी आंकड़े हैं।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको जो बू आ रही है, वह बदबू बीमारी में परिवर्तित हो जाएगी, उस बदबू को दूर करना चाहिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा से दिया गया आंकड़ा है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भौतिक सत्यापन नहीं हुआ, इसलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूँ।

श्री नारायण चंदेल :- वह महामारी का रूप ले सकता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि आप जांच करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बता दीजिए, वह अनावश्यक खींच रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको जांच कराने के लिए बोलिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप घोषणा कर दीजिए, इसमें जांच होनी है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें जांच होना है, आप जांच करवा दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जान रहा हूँ कि वह बिना जांच के मानेंगे ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा तो आप जांच करवा दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए जांच कराने की घोषणा कर देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- बस खत्म। डॉ. विनय अग्रवाल।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद् कि आप जांच करवा रहे हैं। अगली बार सारा जवाब, सारे मंत्रियों का जवाब वहीं दें। पूरा जवाब वही दें। सारे मंत्रियों का जवाब वहीं दें।

<u>जिला कोरिया को खेल एवं युवा कल्याण हेतु आबंटित राशि</u>

[खेल एवं युवा कल्याण]

10. (*क्र. 478) डॉ. विनय जायसवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरिया जिला अंतर्गत वर्ष 2018 से लेकर अब तक खेल एवं युवा कल्याण को कब-कब एवं कितनी राशि आवंटित की गई एवं उस राशि का व्यय कहा कहां किया गया? **(ख)** यदि राशि नहीं आवंटित की गई तो क्यों तथा कब तक की जाएगी ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) **जानकारी परिशिष्ट[5] पर संलग्न है।** (ख) राशि आबंटित की गई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि वर्ष 2018 से लेकर, कोरिया जिले में अब तक खेल और युवा गतिविधियों में किन खेलों के लिए और युवा कल्याण गतिविधियों के

---

[5] परिशिष्ट- छः

लिए हुई है, लगभग 53 लाख रूपये वर्ष 2018 से लेकर, अब तक जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि कोरिया जिले में इतनी राशि खर्च हुई है और परिशिष्ट में लगातार जो डेटवाईस और सत्रवाईस इसमें दिया हुआ है कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के लिए, खेल संघों को अनुदान...।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, राशि का मतलब राशि होता है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में दिया गया है। मेरा माननीय खेल मंत्री जी से यह प्रश्न है कि ...।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधा-सीधा प्रश्न करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा प्रश्न ही है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको घुमाईये मत।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां के खेल अधिकारी हैं। वहां तीन विधानसभा है एक कमरो जी का विधान सभा है और भी वहां कई सारी खेल प्रतियोगिताएं करवाते हैं, ये जितनी भी राशि का आवंटन खेल अधिकारी के द्वारा किया गया है, वह प्रतियोगिता हो, या युवा गतिविधि हो, उसमें कहीं भी जो विधायक हैं उनको कोई आमंत्रण नहीं मिला है और किस तरीके से राशि खर्च की गई है, इसमें क्या किया गया है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है और वहां के जो खेल अधिकारी हैं वह वहां कब से नियुक्त हैं, यह भी थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो है वह राशि के व्यय के ऊपर में था। मैंने यह पता नहीं किया है कि वह कब से वहां नियुक्त हैं अगर वह जानकारी चाहिए तो मैं उनको दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। आप उनको बता दीजिए कि कहां-कहां खर्च हुआ है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में पूरा उत्तर है और जितनी भी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उनके फोटोज भी संकलन किये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय मंत्री जी के कक्ष में जाकर प्राप्त करिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री लखेश्वर बघेल।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें जिन संस्थाओं को भी मदद की गई है इसमें 3 लाख, 4 लाख रूपये की राशि है। आप वहां बहुत सारी प्रतियोगिताओं में शामिल रहे हैं । आप यह बताईये कि यह जो खोल अधिकारी हैं, उनकी लगातार इस तरह की शिकायतें हैं, हमने कई बार शिकायत की है लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कम से कम इतनी राशियों का जो आबंटन हुआ है, इसकी एक छोटी सी जांच करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- भारसाधक मंत्री आएंगे तो उनके कक्ष में जाकर बात कर लीजिएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, भारसाधक मंत्री तो यही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ओरिजनल भारसाधक मंत्री आएंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- खेल मंत्री जी का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा था कि....।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- खेल मंत्री, भारयुक्त मंत्री बैठे हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप कुछ बताना चाहेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यय राशि दी गयी है, उसका बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है।

अध्यक्ष महोदय :- उनको व्यय राशि से मतलब नहीं है, उनको कौन पोस्टेड है, उससे मतलब है, उनको यह भी मतलब है कि वहां अध्यक्ष जी का क्षेत्र आता था, मेरे कहने से भी कुछ खेल हुआ है तो क्या-क्या खेल हुआ है। उस खेल को जानना चाह रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, क्या-क्या खेल में क्या-क्या खेल हुआ है ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में वहां पर जो खेल हो रहे हैं, उसमें राशि का आबंटन नहीं हो रहा है और केवल जो खेल अधिकारी हैं, वहां जो खेल और युवा गतिविधि के लिए पैसा आ रहा है, उसके साथ बंदरबांट कर रहे हैं। आपको उसके ऊपर कार्रवाई करना है।

श्री उमेश पटेल :- एक प्रश्न पूछिए न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, वे बोल रहे हैं कि खेल के पैसे में खेला हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- खेला हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वे खेला के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आज का पूरा दिन पूरा प्रश्न बंदरबाट में ही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। पूरा प्रश्न, पैसा, खर्चा, किधर, कब इसी में ही चल रहा है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर हम लोग दोनों विधायक हैं, अगर विभागीय आयोजन होगा, हमारी सरकार है, हम दोनों विधायकों को भी पता नहीं चलेगा कि खेल हो रहा है। हम लोगों को खेल खिलाने के लिए अपने जेबों से पैसा लगाना पड़ता है। जो खेल हुए हैं, क्या उसकी जांच करायेंगे ? क्योंकि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वहां का जो खेल अधिकारी है, टीचर को रखा गया है। हमारी राज्य सरकार कह रही है कि टीचर को मूल पदस्थापना भेजना है। माननीय मंत्री जी क्या आप उसकी जांच करायेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ऐसा है, वहां कोरिया जिले में दो विधायक नहीं हैं, तीन विधायक हैं। इन दोनों को खेलने को नहीं मिल रहा है कि अकेले खेल रहे हैं, आप इसको भी देखिए। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों विधायक जो कह रहें हैं और माननीय विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, यह बंदरबाट का मामला है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ठीक है। दूसरा बात, जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई है, उनकी सारी फोटो मेरे पास संलग्न है। आप अगर चाहें तो मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उन्हीं से पूछ लीजिए कि खेल अधिकारी कौन हैं ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय मंत्री जी क्या खेल अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो संबंधित विधायक हैं...।

श्री उमेश पटेल :- पहले एक का उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न करिए। एक साथ तीन-तीन प्रश्न करेंगे तो मैं कहां से उत्तर दूंगा ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय मंत्री जी, जो 53 लाख का खेल हुआ है, मेरे विधानसभा में एक भी प्रतियोगिता नहीं हुई है। आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करायेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- अगर आपकी विधानसभा में खेल प्रतियोगिता नहीं हुई है तो आप उसको बताईए, हम उसको करवा देंगे। आपका प्रश्न अगर व्यय राशि से है तो मैंने व्यय राशि का उत्तर दिया। अगर आपको लगता है कि बंदरबाट हुआ है तो आप प्रस्तुत करिए। मैं जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

<u>बस्तर संभागान्तर्गत स्थापित एवं संचालित मदर एण्ड चाईल्ड अस्पताल</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

11. (*क्र. 529) श्री बघेल लखेश्वर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत मदर एण्ड चाईल्ड अस्पताल हेतु भवन का निर्माण कहां-कहां हुआ है? जानकारी देवें? **(ख)** क्या भवन निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है अथवा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? **(ग)** यदि हां, तो उक्त भवन विभाग को हेण्डओव्हर व भवन में अस्पताल के कार्य संचालन की स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) बस्तर संभागांतर्गत गीदम जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, पंखाजूर जिला कांकेर एवं कोण्डागांव में मदर एण्ड चाईल्ड अस्पताल हेतु भवन का निर्माण हुआ है। **(ख)** जी हॉं। पंखाजूर जिला कांकेर एवं बीजापुर के भवन निर्माण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** पंखाजूर जिला कांकेर भवन का आधिपत्य हस्तांतरण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिनांक 23.01.2020 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी कोयलीबेड़ा जिला कांकेर को हो गया है तथा बीजापुर के भवन का विभाग को हस्तांतरण नहीं हुआ है। उक्त दोनों स्थानों पर मातृ एवं शिशु अस्पताल का संचालन प्रारंभ नहीं हुआ है, किन्तु कोविड-19 के समय कुछ समय के लिए पंखाजूर जिला कांकेर के भवन में कोविड अस्पताल का संचालन किया गया था।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बस्तर संभाग अंतर्गत मदर चाईल्ड अस्पताल भवन से संबंधित है। इसमें अनियमितता हुई है। यह भवन कब स्वीकृत हुआ था ? जो अनियमितता हुई है, वह किस अधिकारी के द्वारा की गयी थी और कौन ठेकेदार था, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनियमितता हुई थी, उसमें कार्यपालन अभियंता सी.जी.एम.एस.सी, लिमिटेड नया रायपुर के द्वारा इसकी जांच की गयी है। दिनांक 24.07.2021 को नव निर्मित 50 बिस्तर एम.सी.एच. भवन बीजापुर का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता सी.जी.एम.एस.सी. लिमिटेड बस्तर संभाग एवं जिला चिकित्सालय बीजापुर के इलेक्ट्रिशयन श्री महेश मांझी के साथ विद्युतीकरण, विद्युत फिटनेस, विद्युत उपकरण तथा विद्युत पैनल का निरीक्षण किया गया, उसमें अनियमितता पायी गयी और उसमें जो सब इंजीनियर थे, उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- और किसी को बर्खास्त कराना है ?

<u>प्रदेश मे संचालित देशी विदेशी शराब दुकानों में गबन लूट चोरी गड़बड़ी की शिकायत</u>

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

12. (*क्र. 545) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में संचालित देशी व विदेशी शराब दुकानों में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक धन राशि का गबन, लूट, चोरी और स्टॉक मिलान में गड़बड़ी की शिकायतें कहां-कहां दर्ज/प्राप्त हुई है? जिलेवार, दुकानवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार दुकानों में कितनी राशि की लूट चोरी स्टॉक मिलान में गड़बड़ी या कमी कब जानकारी में आई है? इसके लिए कौन दोषी है? इनसे यह राशि किस तारीख को वापस जमा कराई गई है? यदि जमा नहीं कराई गई है तो कब तक जमा कराई जाएगी? दोषी अधिकारी कर्मचारी व प्लेसमेंट एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में संचालित देशी व विदेशी शराब दुकानों में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक धन राशि का गबन लूट चोरी और स्टाक मिलान में गड़बड़ी की प्राप्त शिकायत की जिलेवार, दुकानवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **परिशिष्ट** 'अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

'क' अनुसार दुकानों में राशि की लूट, चोरी, की जानकारी घटना के पश्चात् एवं स्टाक मिलान में गड़बड़ी या कमी, कब जानकारी दुकानों के ऑडिट एवं जांच से प्राप्त होती है। इसके लिए दोषी प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी एवं प्लेसमेंट एजेंसी व उक्त राशि किस तारीख को वापस जमा कराई गई से संबंधित जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **परिशिष्ट** अनुसार है। घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने दुकानों में सुरक्षा गार्ड लगाये गये हैं व प्रति माह आंतरिक अंकेक्षक एजेंसी द्वारा दुकानों का ऑडिट किया जा रहा है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि प्रदेश में देशी और विदेशी शराब मदिरा की जो दुकानें संचालित हैं, उसके प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा जो किसी प्रकार की राशि गबन, लूट, चोरी की घटना है कि नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शराब बिक्री की राशि है, वह कितने दिन में, कितने घंटे में, कितने महीने में जमा करने के नियम हैं और कहां जमा किये जाते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्काल जमा करने का नियम है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से याद दिला देता हूं कि आपने ही व्यवस्था दी थी कि इसको उदाहरण मत बनाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तक 11 प्रश्न हो चुके हैं । अभी और प्रश्न होंगे ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- मूल प्रश्नकर्ता को तो पूछने दीजिये । मूल प्रश्नकर्ता को तो पूछने ही नहीं दे रहे हैं, उनको तो पूछने दीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही व्यवस्था दी थी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उनको पूछने तो दीजिये, आप बिना अनुमति के बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- तोर बात ला ऐती के मन कोई गंभीरता से नइ लेवए, तें ओती बात करे कर ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप पूछिए ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है तत्काल । तत्काल को परिभाषित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि तत्काल का अर्थ कितने घंटे या दिन होता है ? चूंकि दिनांक 18 मार्च 2021 को भी इसी प्रकार का प्रश्न मेरे द्वारा लगाया गया था कि जनवरी, 2019 से लेकर जनवरी, 2021 तक प्लेसमेंट एजेंसी उनके कर्मी के पास नगद संग्रहण अर्थात् एजेंसी के पास नगद राशि है कि नहीं है तो उसमें जवाब आया था कि कोई शासकीय राशि प्लेसमेंट एजेंसी के पास नहीं पायी गयी है और आज जब प्रश्न आया है तो उसके पहले के दिनांक में, उसी दिनांक में बहुत सारी चीजें हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, आप प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करके पूछिए । आगे नारायण चंदेल जी का प्रश्न है उनको भी पूछना है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि प्लेसमेंट एजेंसियों को जो राशि तत्काल जमा करने का है । मैंने इसमें चोरी, गबन और लूट का कहा था उसमें कौन दोषी है चूंकि जो जानकारी है उसमें कई में अज्ञात-अज्ञात आया है और इतनी बड़ी संख्या में है तो इसके लिये दोषी कौन है कि जो बार-बार प्लेसमेंट एजेंसी और प्रश्न लगने के बाद एफ.आई.आर. हो रहा है और उसके 2-2, 3-3 महीने बाद पैसा जमा हो रहा है । मेरे पास कई सारे उदाहरण हैं, मैं उसे पढ़ सकता हूं जिसमें एफ.आई.आर. के तीन महीने बाद और बड़ी लंबी सूची है और कई में अभी अज्ञात लोग हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन दोषी हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारी बातें पुराने प्रश्नों के संदर्भ में भी है लेकिन आपने कहा कि तत्काल को परिभाषित करो तो उसी दिन और यदि देर शाम हो जाये तो फिर अगले दिन जमा किये जाने का प्रावधान है लेकिन इन सब चीजों के बावजूद स्पेसीफिक यदि किसी मामले में आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझको जानकारी दे देंगे, हम उसमें कार्यवाही करायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा एक लंबा-चौड़ा परिशिष्ट है जिसमें 2-2 महीने साथ जमा हुआ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है कि पब्लिक एक्सचेकर के पैसे में गबन हो रहा है । पब्लिक एक्सचेकर के पैसे का, सरकारी पैसे का गबन हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और उसके लिये कोई सुरक्षा की एजेंसी नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जांच कराने के लिये कहा है उसका टाईम लिमिट करिए तो ये गड़बड़ियां रूकेंगी । एक महीने, दो महीने ऐसा टाईम लिमिट दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग जो-जो सुझाव है उसे दे दीजियेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव नहीं । चूंकि सरकारी पैसे का, पब्लिक एक्सचेकर के पैसे का गबन होना, चोरी होना, डकैती होना और उसके बाद भी यह सरकार गंभीर नहीं है तो यदि ऐसे मामलों पर सदन में कोई निर्णय नहीं होगा तो सरकार के पैसे को लोग ऐसे ही लूटकर खाते रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- विभाग कौन सा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग है ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप संक्षेप में पूछिए ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तत्काल जमा करने का है लेकिन मेरे पास पूरी सूची उपलब्ध है और इसमें प्लेसमेंट एजेंसियां क्या कर रही हैं ? जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, जो दुकान संचालित कर रही हैं यदि वहां 5 कर्मचारी हैं और एक आदमी वहां पर पानी मिलाते हुए पाया जाता है और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो जो और 5 लोग हैं उनको भी निकाल दिया जाता है और मेरे आज के ही प्रश्न में बोला गया है कि आऊटसोर्सिंग हो रहा है चूंकि आपने कहा था कि आऊटसोर्सिंग नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ जो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, पांच के पांच प्लेसमेंट एजेंसियों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद फिर नयी भर्ती की जा रही है, यह बार-बार किया जा रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि जो दोषी हैं आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आप जो तत्काल बोल रहे हैं जिसकी पूरी सूची है ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ... ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल कार्यवाही होगी । नारायण चंदेल ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- राशि 2-2 महीने में जमा हो रही है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शराब में ही एमन के अतका इंटरेस्ट काबर हावए ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बोल दिया न कार्यवाही होगी । आप चलिये न अपना प्रश्न करिये ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मैं आपसे मांग करना चाह रहा हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं कार्यवाही होगी । मैं बोल रहा हूं, आदेश दे रहा हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एकर मन के खाली शराब के ऊपर ध्यान ज्यादा रहिथे ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से आदेश कर दीजिये न ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूरी सूची है इसमें दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया । आप तो हमेशा भाग लेते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>जिला पंचायत में जमा ब्याज की राशि के संपादित कार्य</u>

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

13. (*क्र. 271) श्री नारायण चंदेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिलें में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में जिला पंचायत में कितनी ब्याज की राशि वर्तमान में जमा है? **(ख)** उक्त ब्याज की राशि से उक्त अवधि में क्या-क्या कार्य किस निर्माण ऐजेंसी/फर्म के द्वारा किन-किन वि.खं. में किया गया है? **(ग)** उक्त ब्याज की राशि का उपयोग किस प्रकार से कब किया जाय इस हेतु शासन के क्या दिशा निर्देश व मापदण्ड है ? क्या उक्त राशि का उपयोग स्वेच्छाचारी से किया गया है? यदि हां, तो इस हेतु कौन दोषी है, दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू. 126.68 लाख, 2020-21 में रू.123.34 लाख एवं 2021-22 में रू.82.13 लाख कुल रू.332.15 लाख जिला पंचायत में ब्याज की राशि वर्तमान में जमा है। **(ख)** ब्याज की राशि से उक्त अवधि में कोई कार्य नहीं कराए गये हैं। **(ग)** ब्याज में प्राप्त राशि के उपयोग हेतु छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2016/192, दिनांक 11.07.2016 **(संलग्न परिशिष्ट)**[6] के अनुसार योजना के प्रावधान अनुसार ही व्यय किए जाने के निर्देश हैं। चूंकि ब्याज की राशि व्यय ही नहीं की गई है अतः स्वच्छाचारिता अथवा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ब्याज की राशि से संबंधित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2019-20 से ब्याज की राशि लंबित है, उसे अब तक क्यों खर्च नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या आप अपने प्रश्न की बात कर रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- हां करिए । उनको बेचारे को तैयार ही नहीं होने दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे कागज खोजते-खोजते थक जायेंगे । समय हो गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

[6] परिशिष्ट- "सात"

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष जी, एक तो ये माननीय पंचायत मंत्री इधर-उधर घूमते रहते हैं।

समय :
12.00 बजे

जन्मदिवस की बधाई

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- आज माननीय धनेन्द्र साहू जी का जन्मदिन है। (मेजों की थपथपाहट) मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि वे सदैव सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु बने रहें।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- हम सब सहमत हैं, लेकिन पार्टी कौन देगा?

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- पूरे सदन की तरफ से धनेन्द्र साहू जी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। स्वस्थ रहें। प्रसन्न रहे। मस्त रहें और आने वाले भविष्य में भूपेश बघेल जी जरा उनका ख्याल रखें। यह पूरा सदन आग्रह करता है।

श्री नारायण चंदेल :- लेकिन ये तो मार्गदर्शक मंडक में हैं।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आज मध्याह्न 12.30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया जायेगा। विधान सभा की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित।

(12.01 से 12.30 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12.30 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

आदिम जाति कल्याण मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, आज आप देवानन्द स्टाइल में आए हैं ।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, आज के बजट के बाद भाजपा 50 सालों के लिए साफ हो जाएगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, पहले बैग में गौमाता का नाम लिखा हुआ था । उसको इन्होंने बदल दिया, क्या इन्होंने गौमाता की सेवा करना छोड़ दिया ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- गौमाता के सेवा ही से सोना निकला है ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- गौमाता की सेवा से ही यह स्वर्ण अर्जित हुआ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अब माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे ।

समय :

12.31 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक का उपस्थापन</u>**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करने के पूर्व युद्ध की विभीषिका से आशंकित सम्पूर्ण विश्व के लिए मंगल कामना, यजुर्वेद की इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं ।

ओम विश्वानि देव सवित: दुरितानि परा सुव ।

यत्भद्रम् तत् न आसुव ।।

अर्थात् ज्ञान के प्रकाशक एवं जगत् के संचालक सभी देवताओं से प्रार्थना है, समस्त दुख एवं बुराईयां हमसे दूर हों एवं कलयाणकारी गुण, कर्म एवं स्वभाव सब कुछ हमें प्राप्त हो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के वर्ष में मैं अपनी सरकार का यह बजट प्रस्तुत् कर रहा हूं । मुझे संतोष है कि बीते 3 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आज़ादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सार्थक क़दम उठाए हैं । बापू की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्ते को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना की जाएगी (मेजो की थपथपाहट) । इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ है । वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस पर व्यय हेतु नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है ।

2. हमने अपनी विरासत और विकास योजनाओं को लेकर जो कहा था, उसे करके भी दिखाया । जिसके कारण ग्रामीण तथा वनांचलों में रोज़गार के नये अवसर बने हैं तथा हमें ग्राम केन्द्रित नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिली है । विकास के इस "छत्तीसगढ़ मॉडल" को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है ।

3. हमारी सरकार द्वारा पहले वर्ष में ही 17 लाख, 96 हजार किसानों का 8 हजार 744 करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफ किया गया । किसानों से धान खरीदी 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर की गई । खरीफ 2018 के धान हेतु 15 लाख 77 हजार किसानों को 6 हजार 22 करोड़ रूपए की बोनस-राशि का तत्काल भुगतान किया गया ।

4. बस्तर के विकास का नया अध्याय शुरू करते हुए संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्रों में से 30 हजार 439 हजार हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई। हमारे इस क़दम से वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिये जा सकेंगे । नये उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शासकीय भवनों के निर्माण, सड़क एवं रेल मार्गों का विकास तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी सरलता से भूमि उपलब्ध हो सकेगी ।

5. **राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना** में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि दी जा रही है। इस वर्ष 3 लाख 54 हजार 513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 08 लाख की प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। **आगामी वर्ष से 6 हजार वार्षिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 7 हजार करने की घोषणा करता हूँ।** (मेजों की थपथपाहट)

6. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले व्यक्ति, जिन्हें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मांझी, बैगा, गुनिया, पूजारी इत्यादि भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है, का आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन एवं सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्व है। आदिवासियों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्कार को जीवित रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन पूजारियों/बैगा/गुनिया/मांझी आदि जिनमें आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल है, को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिये जाने की घोषणा करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

7. सुराजी गांव के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश में स्थापित गोठानों को **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क** के रूप में विकसित किया जायेगा। इन औद्योगिक पार्कों में स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु वनोपजों के मूल्य संवर्द्धन (Value addition) के लिए प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जायेगी। बांस एवं काष्ठ शिल्प, मेटल शिल्प तथा अन्य हस्त शिल्प से संबंधित लघु एवं कुटिर उद्योगों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को सहयोग दिया जायेगा।

8. इन औद्योगिक पार्कों में तैयार किये जाने वाले उत्पादों का चयन हितग्राहियों के कौशल, कच्चे माल की उपलब्धता तथा तैयार उत्पाद की उपभोक्ताओं में मांग को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। इन औद्योगिक पार्कों में **उन्नत अधोसंरचना** तथा **बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है।**

9. गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा देना, मिलेट मिशन एवं वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से रोजगार के नये अवसरों का सृजन हुआ है। इन उत्पादों के विपणन का कार्य छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा **छत्तीसगढ़ हर्बल्स** ब्रान्ड के नाम से किया जा रहा है।

10. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय एवं राज्य स्थित विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए रोजागर एवं स्वरोजगार की नवीन संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस हेतु **छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन** की शुरूआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

11. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में **राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा करता हूँ।** (मेजों की थपथपाहट)

12. शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एन.पी.एस. योजना के स्थान पर **पुरानी पेंशन योजना** को बहाल करने की घोषणा करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

13. शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

आर्थिक स्थिति

14. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

15. वर्ष 2021-22 में स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इस प्रकार कृषि एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर, राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64 प्रतिशत अधिक है।

16. प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में 3 लाख 52 हजार, 161 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 4 लाख, 61 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60 प्रतिशत अधिक है।

17. वर्ष 2020-21 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1 लाख, 05 हजार, 778 रूपये की तुलना में वर्ष 2021-22 में 1 लाख, 18 हजार, 401 रूपये का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.93 प्रतिशत अधिक है।

18. वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में केंद्रीय करों एवं केंद्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44 हजार, 325 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 44 हजार, 573 करोड़ की राशि केंद्र से प्राप्त होना अनुमानित है। जून 2022 के पश्चात् जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान समाप्त किये जाने के कारण केंद्रीय प्राप्तियों में कम वृद्धि अनुमानित है।

19. वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 35 हजार करोड़ की प्राप्ति अनुमानित की गई थी। राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि हेतु किये जा रहे सतत् प्रयासों से राजस्व प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि दर्ज होने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष राज्य मद से प्राप्तियों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में 44 हजार, 500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। इस प्रकार राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में 27 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में केंद्रीय प्राप्तियों में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था

20. किसानों की उन्नति के लिए हमारी सरकार द्वारा किये गये ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य में कृषि एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में उभरा है। खरीफ वर्ष 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ वर्ष 2021 में 21 लाख, 77 हजार किसानों से 98 लाख मीट्रिक टन उपार्जित किया गया। इस प्रकार विगत 3 वर्षों के दौरान 9 लाख, 77 हजार नये किसानों का पंजीयन हुआ है एवं उपार्जित धान की मात्रा में भी 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। (मेजों की थपथपाहट)

21. धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए **राजीव गांधी किसान न्याय योजना** के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार की आदान सहायता देने की व्यवस्था है। विगत 2 वर्षों में 10 हजार 152 करोड़ की सहायत राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस योजना के लिए **6 हजार करोड़** का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

22. विविध फसलों को बढ़ावा देने के क्रम में गन्ना की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 रूपये के स्थान पर 355 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इस वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान है।

23. पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों में 25 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु **चिराग परियोजना** प्रारंभ की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है।

24. प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु **कृषक समग्र विकास योजना** में 123 करोड़ का बजट प्रावधान है।

25. फसल बीमा योजना में 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिए 60 करोड़ एवं कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ का प्रावधान है।

26. 10 हजार 404 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुवर्षीय फलोद्यान तथा 9 हजार, 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन एवं 1 हजार, 895 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती के लिए कृषकों को सहायता अनुदान का लक्ष्य रखा गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

27. कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण की क्षमता में वृद्धि हेतु दुर्ग जिले में **इन्टीग्रेटेड पैक हाउस** की स्थापना की जाएगी। इसमें अत्याधुनिक गामा विकिरण तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 24 करोड़ का प्रावधान है।

28. खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए एन.ए.बी.एल. (NABL) से मान्यता प्राप्त फाइटो-सेनेटरी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी । इसकी स्थापना से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिसका आर्थिक लाभ सीधा कृषकों को प्राप्त हो सकेगा । इसके लिए 1 करोड़, 50 लाख का प्रावधान है ।

29. प्रदेश भर में अब तक स्वीकृत 10 हजार 590 गौठानों में से 8 हजार 119 गोठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । यहां उपलब्ध विशेष सुविधा के तहत अब तक 1 लाख 86 हजार 641 कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं, जिससे 57 हजार 943 बछड़ों का जन्म हुआ है ।

30. गोधन न्याय योजना के तहत 63 लाख 89 क्विंटल गोबर का क्रय किया जाकर पशुपालकों को 127 करोड़ 79 लाख रूपये का भुगतान किया गया है । इसमें स्वावलंबी गोठानों द्वारा स्वयं के आय से भुगतान की गई 12 करोड़ की राशि भी शामिल है ।

31. गौठानों में उपलब्ध गोबर से 11 लाख 65 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट एवं 4 लाख 65 हजार क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन हुआ । अब तक 91 करोड़ 11 लाख वर्मी एवं सुपर कम्पोस्ट विक्रय किया जा चुका है । स्व-सहायता समूह के हितग्राहियों को 31 करोड़ 34 लाख की लाभांश राशि वितरित की गयी है ।

32. चारे की व्यवस्था हेतु अब तक 7 हजार चारागाहों की स्वीकृति दी गई है । लगभग 5 हजार चारागाहों में चारा रोपण किया जाकर गौठानों में हरा चारा उपलब्ध कराया जा रहा है ।

33. सूखा चारा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीणों को पैरा-दान के लिए जागरूक एवं प्रेरित करके गौठानों में 15 लाख 67 हजार क्विंटल पैरा एकत्रित किया गया है ।

34. गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करते हुए अब तक 750 गौठानों में 21 तेल मिल, 28 दाल मिल, 40 आटा मिल एवं 680 मिनी राईस मिलों की स्थापना की गई है ।

<u>सिंचाई सुविधाओं का विकास</u>

35. सिंचाई परियोजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर हमने विशेष ध्यान दिया है । परिणामस्वरूप वर्ष 2018 में वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 10 लाख 90 हजार हेक्टेयर से बढ़कर अब 13 लाख 58 हजार हेक्टेयर हो चुका है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

36. वर्ष 2022-23 में 1 हजार 705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है । इन कार्यों में 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी । नवीन मद अंतर्गत 249 वृहद कार्य, 53 मध्यम कार्य और 835 लघु सिंचाई कार्य तथा 404 एनीकट एवं स्टाम डेम निर्माण कार्य शामिल है ।

37. केलो परियोजना हेतु 90 करोड़, अरपा भैंसा परियोजना के लिए 45 करोड़ और समोदा परियोजना को पूर्ण करने के लिए 14 करोड़ रूपये का प्रावधान है । (मेजों की थपथपाहट)

38. नाबार्ड की सहायता से सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 690 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 931 करोड़, एनीकट एवं स्टापडेम निर्माण के लिए 260 करोड़ तथा तटबंध निर्माण कार्य हेतु 125 करोड़ का प्रावधान है ।

39. इस वर्ष 10 वृहद, 15 मध्यम, 3 लघु सिंचाई एवं 6 मेगा उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण हेतु 3 करोड़, 10 लाख का प्रावधान है ।

40. वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संधारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है ।

41. 5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिए 2 हजार 600 करोड़ का प्रावधान है । इस योजना से लगभग 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा ।

42. सौर सुजला योजना के अंतर्गत 3 से 5 एच.पी. क्षमता के 15 हजार सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 417 करोड़ का प्रावधान है ।

43. प्रधानमंत्री कुसुम योजना अंतर्गत 10 हजार सोलर पम्पों की स्थापना हेतु राज्यांश मद में 100 करोड़ का प्रावधान है ।

<u>ग्रामीण विकास गतिविधियां</u>

44. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 7 जिलों के 43 संकुल संगठनों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देते हुए **कैशलेस इकानॉमी** बनाने का प्रयास किया जा रहा है । **उत्थान परियोजना** अंतर्गत प्रदेश के 9 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति की 172 महिलाओं को सी.आर.पी. (Community Resource Person) के रूप में प्रशिक्षित करके कुल 9 हजार 820 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा ।

45. **मिलाप परियोजना** अंतर्गत राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले में 17 हजार 315 प्रवासी श्रमिकों का चिह्नांकन कर उनके समग्र विकास हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। उपरोक्त विभिन्न गतिविधियों हेतु ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लिए 450 करोड़ का प्रावधान है ।

46. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत 8 लाख 22 हजार 832 आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना में 800 करोड़ का प्रावधान है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

47. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत 3 हजार 82 गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य तथा 275 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। योजना में 500 करोड़ का प्रावधान है।

48. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 900 किलोमीटर सड़क एवं 24 वृहद पुलों के निर्माण का भौतिक लक्ष्य है। नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा में 47 स्टील ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव है। योजना में 1 हजार 675 करोड़ का प्रावधान है।

49. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में 200 करोड़, ग्राम पंचायत को मूलभूत कार्य हेतु अनुदान योजना में 260 करोड़ तथा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान मद में 1 हजार 114 करोड़ का प्रावधान है।

<u>रेशम एवं अन्य शिल्प गतिविधियां</u>

50. बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककून वर्तमान में व्यापरियों द्वारा क्रय करके अन्य राज्यों को निर्यात किए जाने के कारण राज्य की जनता को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता था। अब रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धारा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए **मुख्यमंत्री रेशम मिशन** की शुरूआत की जायेगी।

51. रेशम विभाग के माध्यम से रैली ककून का क्रय करने हेतु ग्राम नानगूर विकासखण्ड जगदलपुर में ककून बैंक की स्थापना की जायेगी। संग्रहित रैली ककून 200 स्व-सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरण किया जायेगा। स्व-सहायता समूह को धागाकरण हेतु प्रशिक्षण एवं मशीन उपकरण की सहायता दी जायेगी।

52. पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मिशन के माध्यम से 200 स्व-सहायता समूहों की लगभग 4 हजार महिलाओं को प्रतिमाह 6 से 7 हजार तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसके लिए 4 करोड़ 53 लाख का बजट प्रावधान है।

53. कुम्भकार परिवारों द्वारा पारंपरिक लकड़ी के चाक से मिट्टी के बर्तन, गमले, खपरा आदि का निर्माण जीवकोपार्जन के लिए किया जाता है। कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कुम्भकार परिवारों को विद्युत चाक का वितरण किया जायेगा। इसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है।

<u>पेयजल सुविधाएं</u>

54. राज्य में 48 लाख 60 हजार परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस हेतु जल जीवन मिशन में 1 हजार करोड़ का प्रावधान है।

55. नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना के लिए अनुदान मद में 30 करोड़ तथा ऋण हेतु 55 करोड़ का प्रावधान है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

56. गौठानों में 860 नग नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

57. नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पानी की समस्या के निराकरण हेतु रविशंकर जलाशय से टीला एनीकट तक पाईप लाइन बिछाने की अनुमानित लागत 106 करोड़ है। इस हेतु नवीन मद में 2 करोड़ का प्रावधान है।

<u>शैक्षणिक सुविधाएं</u>

58. कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बच्चों को आधुनिक शिक्षा-अधोसरंचना का लाभ दिलाने का हमारा प्रयास सफल रहा है। अंग्रेजी माध्यम से संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 लाख 35 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

59. इस नई पहल के प्रति अभिभावक एवं विद्यार्थियों की अभिरूचि को देखते हुए इस वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इससे 17 हजार 500 बच्चे लाभान्वित होंगे।

60. इस वर्ष 11 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में एवं 12 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में उन्नयन किए जाने हेतु नवीन मद में प्रावधान है।

61. भवन विहीन 40 हाईस्कूलों एवं 17 हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

62. रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय कुतुल, कच्चापाल, ईरकभट्ठी, कुन्दला एवं आकाबेड़ा में कर्मचारी आवास एवं अहाता निर्माण हेतु 6 करोड़ 95 लाख का नवीन मद में प्रावधान है।

63. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये संचालित भवनविहीन छात्रावास, आवासों हेतु 106 भवन का निर्माण किया जायेगा । इस हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है ।

64. बस्तर जिला जगदलपुर, बासिन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोंडागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान है । (मेजों की थपथपाहट)

65. 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु बजट में प्रावधान है ।

66. भवनविहीन 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण तथा 22 महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षों का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर सरगुजा में आडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

67. शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान है ।

68. प्रदेश में 28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संबद्ध हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के मांग अनुसार नवीन ट्रेड प्रारंभ करने के लिए बजट में सेट अप एवं 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान है ।

महिला एवं बाल विकास

69. एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, वजन त्यौहार तथा नवा जतन कार्यक्रम जैसे योजनाओं एवं मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत तीन वर्षों के दौरान कूपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है ।

70. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कूपोषण का प्रतिशत 31.3 है जो कूपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत से कम है ।

71. वर्ष 2019 में 4 लाख 33 हजार कूपोषित बच्चों को चिन्हांकित करके मुख्यमंत्री सूपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था । इनमें से 1 लाख 72 हजार बच्चे अब तक कूपोषण के कुचक्र से बाहर आ चुके हैं ।

72. छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वितरित महिला स्व-सहायता समूहों का 12 करोड़ 77 लाख का बकाया ऋण माफ किया गया है । इस योजना में दिये जाने वाले प्रथम ऋण की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख तक कर दी गई है । प्रथम ऋण को सफलतापूर्वक वापस करने पर 2 लाख से 4 लाख तक के द्वितीय ऋण का प्रावधान किया गया है ।

73. छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए वर्ष 2018-2019 की तुलना में वर्ष 2022-2023 के प्रावधान में 30 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है ।

स्वास्थ्य सुविधायें

74. प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृण बनाने हेतु नवीन भवनों का निर्माण, आधुनिक लैब एवं उपकरणों की स्थापना के साथ-साथ अतिरिक्त मानव संसाधनों की व्यवस्था हेतु प्रयास किये गये हैं ।

75. विगत 2 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य विभाग में 2409 पदों पर भर्ती की गई, जिसमें चिकित्सा अधिकारी 1329, बहुउद्येश्यीय पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता 82, बहुउद्येश्यीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 328, लैब टैकनीशियन 278, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 192 कर्मचारी सम्मिलित है ।

76. राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राज्य के तीन जिले अस्पताल एवं 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित कुल 27 अस्पतालों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

77. जगरगुण्डा सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अहिवारा जिला दुर्ग में 10 बिस्तर एनआरसी की स्थापना हेतु 45 नवीन पदों के सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु बजट में प्रावधान है ।

78. अंबिकापुर एवं कांकेर के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ तथा रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियो वेस्कुलर एवं फोरेंसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के सृजन हेतु नवीन मद में प्रावधान है ।

79. चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातक छात्र - छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण व कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण हेतु 03 करोड़ का प्रावधान है ।

80. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 126 करोड़ एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग अंतर्गत 454 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है ।

<u>वानिकी गतिविधियां</u>

81. कैम्पा मद की राशि से क्षतिपूर्ति वनीकरण के अतिरिक्त वनों की सुरक्षा, वन्य प्राणियों के रहवास में सुधार तथा वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना में 1 हजार 950 नालों को उपचारित करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है।

82. वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को स्व-सहायता समूहों का गठन कर वनोपज आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

83. छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में 65 वनोपज का क्रय किया जा रहा है। संघ द्वारा 2018 में 3 करोड़ 81 लाख के वनोपज का क्रय किया गया था, जबकि 2020-21 में क्रय किये गये वनोपज का मूल्य 153 करोड़ है।

84. छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के द्वारा कोदो-कुटकी 3 हजार रुपये एवं रागी 3 हजार 377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जा रहा है। साथ ही, 10 हजार प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि भी प्रदाय की जा रही है।

85. प्रदेश के विभिन्न स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 5 करोड़ का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

<u>नगरीय सुविधाएॅ</u>

86. नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाईयां एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिये 136 **श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स** की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत अब तक 17 करोड़ 92 लाख बाजार मूल्य की दवाईयों पर 10 करोड़ रुपये की छूट देते हुए 5 लाख 92 हजार नागरिकों को लाभान्वित किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

87. **मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना** के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। योजना की सफलता को देखते हुए इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एवं नगरपंचायतों के लिये लागू किया जायेगा। इसके लिये 50 करोड़ का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

88. शहरी निर्धन परिवारों को आवास उलब्ध कराने हेतु **"मोर जमीन मोर मकान"** तथा **"मोर मकान मोर चिन्हारी"** योजनाओं के तहत 450 करोड़ का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

89. आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों के सम्पत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करने की घोषणा करता हूं।(मेजों की थपथपाहट)

90. मिशन अमृत 2.0 के तहत शहरों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल तथा समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदाय करने के लिये 200 करोड़ एवं नगरीय निकायों को **जल आवर्धन योजना में 380 करोड़ का प्रावधान** है।

91. कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण एवं चन्द्रपुर में **सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान** है।

<u>खेल एवं युवा कल्याण गतिविधियां</u>

92. राज्य की युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है।(मेजों की थपथपाहट) ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 क्लबों का गठन किया जायेगा। इसके लिये 75 करोड़ का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

93. नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों के मल्लखंभ कौशल को निखारने के लिय **मल्लखंभ अकादमी** की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 2 करोड़ 83 लाख का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

94. लाभांडी जिला रायपुर में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी के सेट-अप एवं फर्नीचर उपकरण के लिये 1 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है।

<u>जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधियां</u>

95. जनता की मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिये जाने के उद्देश्य से **विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़** करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 364 करोड़ का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमितेश शुक्ल :- इसके लिए तो आप लोग भी ताली बजाईये। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट किये जाने पर) धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह :- प्रभारी मंत्री के कटनी ला भी बंद करवा देव।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, आपका क्या ख्याल है?

श्री संतराम नेताम :- चंद्राकर साहब, कुछ बोल नहीं रहे हैं।

एक माननीय सदस्य :- हर बार बोलते नहीं हो, इस बार बोलने की बनती है।

श्री भूपेश बघेल :- जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख एवं सदस्यों हेतु 4 लाख...।

श्री अरूण वोरा :- वह थाली बजा रहे हैं। (हंसी)

धर्मजीत भईया, आपने सुना नहीं, मैं फिर से पढ़ देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी।

श्री भूपेश बघेल :-

96. जिला पंचायत अध्यक्षों हेतु 15 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 10 लाख एवं सदस्यों हेतु 4 लाख प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

97. जनपद पंचायत अध्यक्षों हेतु 5 लाख, उपाध्यक्षों हेतु 3 लाख एवं सदस्यों हेतु 2 लाख प्रतिवर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

98. जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है। जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, जिला पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार एवं जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह किया गया है।(मेजों की थपथपाहट)

99. जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार एवं जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1 हजार 500 से बढ़ाकर 5 हजार प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूं।(मेजों की थपथपाहट)

100. सरपंचों का भत्ता 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार एवं पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किया गया है। इसके लिये 184 करोड़ का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

101. ग्राम पंचायतों को और अधिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की कड़ी में अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा किये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, किसी भी ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं की जायेगी।(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

102. अबूझमाड़ क्षेत्र के 237 ग्राम अब तक असर्वेक्षित होने के कारण यहां के किसान विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित थे। इस क्षेत्र के 9 गांवों का सर्वे पूरा करके 676 किसानों को अस्थायी भू-अभिलेख दिये जा चुके हैं। शेष ग्रामों का सर्वेक्षण शीघ्र ही पूर्ण किया जायेगा।

<u>राजस्व एवं पुलिस प्रशासन</u>

103. प्रदेश में 6 नवीन तहसीलें देवकर एवं भिंभौरी जिला बेमेतरा, जरहागांव जिला मुंगेली, दीपका एवं भैंसमा जिला कोरबा, कोटाडोल जिला कोरिया स्थापित की जायेंगी। इसके लिये 84 पदों के सेट-अप का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

104. 11 नवीन अनुविभाग कार्यालयों की स्थापना मालखरौदा जिला जांजगीर-चाम्पा, बलरामपुर एवं राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, धमधा जिला दुर्ग, भोपालपट्टनम एवं भैरमगढ़ जिला बीजापुर, बागबहरा जिला महासमुंद, भरतपुर एवं खड़गवां-चिरमिरी, जिला कोरिया, तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर तथा सहसपुर-लोहारा जिला कबीरधाम में की जायेगी। इसके लिये 77 पदों के सेट-अप का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

105. प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालय में कार्यरत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवास भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिये नवीन मद में 58 करोड़ का प्रावधान है।

106. चिटफंड कंपनियों से पीड़ित 17 हजार 404 निवेशकों को 11 करोड़ 23 लाख की राशि वापस दिलायी गयी है।

107. मानव तस्करी की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो तथा सतर्कता एवं शिकायत सेल का गठन किया जायेगा। इसके लिये 23 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।

108. बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिये **"डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स"** नाम से नवीन कैडर का गठन करने की घोषणा करता हूं।(मेजों की थपथपाहट)

109. नव गठित जिलों (मानपुर-मोहला-चौकी, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) की स्थापना हेतु 1 हजार 100 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

110. जिला बिलासपुर एवं जगदलपुर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 114 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।

111. 03 नवीन पुलिस चौकी क्रमशः भैंसा जिला रायपुर, घटारानी जतमई जिला गरियाबंद, राहूद जिला जांजगीर की स्थापना हेतु 99 पदों के सृजन का प्रावधान है।(मेजों की थपथपाहट)

112. 05 पुलिस चौकी क्रमशः मारो जिला बेमेतरा, जेवरा-सिरसा जिला दुर्ग, नैला जिला जांजगीर-चाम्पा, खरसिया जिला रायगढ़ एवं वाड्रफनगर जिला बलरामपुर का थाने में उन्नयन हेतु 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

113. 300 नग बुलेट प्रुफ जैकेट क्रय हेतु 03 करोड़, वाटर कूलर क्रय हेतु 1 करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है।

114. शहीदों के सम्मान हेतु रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना, पुलिस मेमोरियल टॉवर एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए बजट में प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

115. पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय सुविधा हेतु 320 आवास गृहों को क्रय करने के लिए 65 करोड़ का प्रावधान है।

116. राज्य के 9 जेलों में 50-50 बंदी क्षमता के बंदी बैरक निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु 16 करोड़ 96 लाख का प्रावधान है।

<u>भवन व सड़कों का निर्माण एवं संधारण</u>

117. लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 6 हजार 638 करोड़ का प्रावधान है। राज्य बजट के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से भी वित्त व्यवस्था करते हुए वर्तमान में 16 हजार करोड़ से भी अधिक लागत के सड़क एवं पुल निर्माणाधीन है।

118. राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 228 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 458 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 810 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 315 करोड़ तथा रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान है।

119. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद् एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़ तथा 08 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 3 करोड़ का प्रावधान है। 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 08 करोड़ 65 लाख का प्रावधान है।

120. मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत राज्य में निर्मित शासकीय भवनों जैसे:- स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण की लोकप्रियता को देखते हुए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान है।

121. एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजना के लिए 884 करोड़ का प्रावधान है।

122. नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गों एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 236 करोड़ का प्रावधान है।

<u>वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित एवं 2022-23 का बजट अनुमान</u>

123. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित एवं 2022-23 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

124. वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 97 हजार 145 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 99 हजार 601 करोड़ है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 2.52 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

125. कुल प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि को देखते हुए अधिक आवश्यकता वाली योजनाओं हेतु अतिरिक्त राशि दिये जाने का प्रस्ताव है। परिणामस्वरूप कुल व्यय का बजट अनुमान 97 हजार 106 करोड़ से बढ़ा करके पुनरीक्षित अनुमान 99 हजार 559 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।

126. वर्ष 2022-23 में 1 लाख 04 हजार करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 7 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 44 हजार 500 करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 44 हजार 573 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 14 हजार 927 करोड़ अनुमानित है।

127. वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग का आकार 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1 लाख 04 हजार करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 88 हजार 372 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 15 हजार 241 करोड़ है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.6 प्रतिशत है।

128. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 33 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 12 प्रतिशत का बजट प्रावधान किया गया है।

129. वर्ष 2022-23 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 37 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

<u>राजकोषीय स्थिति</u>

130. अध्यक्ष महोदय, राज्य का स्थापना व्यय प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। राज्य के सभी वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ देने के लिए भी प्रतिवर्ष अधिक राशि की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के स्वयं के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं।

131. राज्य में कर एवं करेत्तर राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में प्रचलित कराधान नियम/अधिनियम, प्रचलित कर दरों तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों का अध्ययन एवं समीक्षा करके करवृद्धि के सुझाव प्रस्तुत करने हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत "करावर्धन प्रकोष्ठ" का गठन किया जाएगा।

132. पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर रोजगार एवं युवा विकास उपकर अधिरोपित किया जायेगा, जिससे 100 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी।

133. मार्च 2021 की स्थिति में राज्य का ऋणभार कुल बजट की तुलना में 80 प्रतिशत तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋणभार 22 प्रतिशत है, जो कि भारत सरकार एवं अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है।

134. राज्य के आय-व्यय को संतुलित रखने की दृष्टि से व्यय में मितव्ययिता संबंधी प्रावधानों को आगे भी निरंतर रखा जाएगा।

135. राज्य का सकल वित्तीय घाटा 14 हजार 600 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है।

136. वर्ष 2022-23 हेतु कुल प्राप्तियां 1 लाख 04 हजार करोड़ के विरूद्ध शुद्ध व्यय 1 लाख 04 हजार करोड़ अनुमानित है।

137. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 89 हजार 73 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 88 हजार 372 करोड़ अनुमानित है। अत: वर्ष 2022-23 में कुल 701 करोड़ का राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) अनुमानित है।

<u>कर प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है।

इस प्रकार वर्ष 2022-23 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 10 एवं 11 मार्च, 2022 की तिथियां नियत करता हूं।

आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों की सूचना गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विधानसभा परिसर पर स्थित सेंट्रल हाल में भोजन की व्यवस्था की गयी है। समस्त माननीय मंत्रिगण, सदस्यगण, पत्रकारगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण सादर आमंत्रित हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 1 बजकर 18 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2022 (फाल्गुन-19, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 09 मार्च, 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं